

17⁶
25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी
को आवाज लगाई गई। बार-बार
आवाज लगाने के बावजूद भी वकील
वादी व वादी न्यायालय में हाजिर
नहीं होने पर वादी का वाद अदम
हाजरी अदम परेवी में खारीज
किया जाता है। पत्रावली फसल
सुमार होकर नम्बर से कम होकर
दार्खल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
दातारामगढ़ (सीकर)